रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-09022022-233265 CG-DL-E-09022022-233265

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 526] No. 526] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 9, 2022/माघ 20, 1943 NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 9, 2022/MAGHA 20, 1943

शिक्षा मंत्रालय

(उच्च शिक्षा विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2022

का.आ. 545 (अ).— सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम 5 के साथ पठित आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकयों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, को प्राधिकृत किये जाने के बाद शिक्षा मंत्रालय अधिसूचित करता है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित परीक्षाओं से सम्बंधित निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को, स्वैच्छिक आधार पर, आधार प्रमाणीकरण निष्पादन हेतु अनुज्ञा प्रदान करता है:

- (i) एक उम्मीदवार से एक से अधिक आवेदनों को रोकना (डी-डुप्लीकेशन);
- (ii) उम्मीदवारों का प्रमाणीकरण;
- (iii) परीक्षाओं में प्रतिरूपण/प्रॉक्सी उम्मीदवारों की रोकथाम।

869 GI/2022 (1)

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित आधार प्रमाणीकरण के उपयोग के संबंध में दिशानिर्देशों का पालन करेगी।

[फा. सं. 43-1/2022-टी एस-1]

डॉ. विनीत जोशी, अपर सचिव

MINISTRY OF EDUCATION

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2022

S.O. 545 (E).—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (as amended) read with rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, the Ministry of Education, Department of Higher Education, having been authorized by the Central Government, hereby notifies that the National Testing Agency (NTA) is allowed to perform Aadhaar authentication, on voluntary basis, for the following purposes in the Examination conducted by National Testing Agency (NTA):

- i. De-duplication of Applications from same candidate;
- ii. Authentication of candidates;
- iii. Prevention of impersonation/ proxy candidates;

The National Testing Agency (NTA) shall adhere to the Guidelines with respect to use of Aadhaar authentication as laid down by the Central Government.

[F. No. 43-1/2022-TS-1]

Dr.VINEET JOSHI, Addl. Secy.